बिहार सरकार
<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 306011 पटना, दिनांक 28-03-2017
ग्रा0वि07(BISPSP) -08/2016

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह,
उप सचिव ।

सेवा में,

<u>सभी जिला पदाधिकारी,</u>
बिहार ।

विषय:- विश्व बैंक संपोषित योजना बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना(BISPSP) में इंदिरा आवास योजना अंतर्गत संविदा आधारित कार्यरत लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) की सेवा के उपयोग के संबंध में ।

पत्रांक:- विभागीय पत्रांक 281912 दिनांक 17.08.2016, 298270 दिनांक 16.02.2017, 300521 दिनांक 16.02.2017 एवं 302138 दिनांक 28.02.2017 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का स्मरण करना चाहेंगे जिसके द्वारा विश्व बैंक संपोषित बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना **(BIHAR INTEGRATED SOCIAL PROTECTION STRENGTHENING PROJECT)** के तहत इंदिरा आवास योजना अंतर्गत संविदा आधारित कार्यरत लेखा सहायकों (ग्रामीण आवास) को **Tally Accounting (Tally –ERP 9.0)** के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं दक्षता परीक्षा में भाग लिये जाने हेतु निदेशित किया गया । तदनुसार दक्षता परीक्षा प्रथम चरण में दिनांक 06.02.2017, 07.02.2017, 08.02.2017 एवं द्वितीय चरण में 23.02.2017 को आयोजित की गई ।

2. प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के दक्षता परीक्षा में 287 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण एवं 104 अभ्यर्थियों को अनुतीर्ण घोषित किये गये है ।

3. प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में अनुतीर्ण अभ्यर्थियों के पुर्नदक्षता परीक्षा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में होने की संभावना है ।

4. अनुतीर्ण कुल 104 अभ्यर्थियों की सूची पत्र के साथ संलग्न है । उक्त सूची में यदि किसी अभ्यर्थी का नाम छुटा है या किसी प्रकार की त्रुटि है तो विभाग को ~~इस से~~ दिनांक 31.03.2017 तक अवगत कराने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक:-यथोक्त

विश्वासभाजन
(संजय कुमार सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक 306011 **पटना/दिनांक** 28-03-2017
ग्रा0वि07(BISPSP) - 08/2016
प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड विकास पदा0, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निदेशित किया जाता है कि इंदिरा आवास योजना अंतर्गत संविदा आधारित कार्यरत लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) को पत्र हस्तगत करायें ।

उप सचिव

ज्ञापांक 306011 **पटना/दिनांक** 28-03-2017
ग्रा0वि07(BISPSP) - 08/2016
प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

उप सचिव